न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 123/2022 बउनवानी प्रताप सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं उप पंजीयक खण्डार
पुत्र श्री रामसिंह राठौड़ निवासी ग्राम व पोस्ट खण्डार
GCMS No-2022/199

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
4.11.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 18.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक एवं तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. कार्यालय उप पंजीयक खण्डार मे दिनांक 17.11.2004 से 6.10.2006 तक प्रताप सिंह राठौड के डीडराईटर लाईसेंस संख्या 03/2004 के जरिये रजिस्टर्ड डाक हुए बैनामा दान–पत्र, हक त्याग–पत्र, पटटा–विलेख, गोद–पत्र, वसीयत इत्यादि की प्रमाणित नकल जो इस प्रार्थना पत्र के साथ फोटो प्रति संलग्न है उसमे वर्णित क्र.स. 1 से 24 दस्तावेजों मे से क्र.स. 9 व 11 के दस्तावेजो के छोडकर रजिस्टर्ड हुए सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक एवं तहसीलदार खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक/पंजीयन/2022/176 दिनांक 20.10.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 18.7.2022 के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण उप पंजीयक एवं तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 81 दिनांक 22.7.2022 एवं 162 दिनांक 14.9.2022 से अपीलान्ट को पूर्ण विवरण अंकित करने बाबत लिखा जा चुका है किन्तु चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना पंजीयन रिकार्ड से संबंधित है एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प.20(84)प्रसु/सउप/2009 पार्ट दिनांक 12.10.2018 के द्वारा पंजीयन अधिनियम,1908 के तहत पंजीकृत [illegible] की प्रतिलिपि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध करवाये [illegible] पंजीयन दस्तावेज की प्रतिलिपि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत देय [illegible] है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद [illegible] दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया [illegible]। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:39:10 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर